ए.

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड।

वी.

मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड।

(2018 की सिविल अपील संख्या 3776)

बी.

अप्रैल 13,2018

[आर**.** के**.** अग्रवाल और आर**.** भानुमती**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता अधिनियम, 1940-ss.3, 20, 30, 33 और पहली अनुसूची का Art.4-मध्यस्थों के बीच असहमति-अंपायर को संदर्भ-यह मुद्दा कि क्या अंपायर को मामले की सुनवाई नए सिरे से करनी है या मध्यस्थों के बीच असहमति के चरण से-अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच समझौता-समझौते का उल्लंघन-दो मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित मामला-मध्यस्थों के बीच सहमति की कमी को देखते हुए, अंपायर को संदर्भित मामला-अंपायर ने प्रत्यर्थी के पक्ष में एक पुरस्कार पारित किया-अपीलकर्ता द्वारा दायर आपत्तियां, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता ने अंपायर के समक्ष फिर से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया और आचरण द्वारा नए सिरे से परीक्षण के अधिकार को माफ कर दिया।मध्यस्थता कानून का सार यह है कि मामले को समयबद्ध तरीके से कुशलता से निपटाया जाए-जब अंपायर एक संदर्भ में प्रवेश करता है और मध्यस्थों की जगह लेता है, तो उसे केवल उन मामलों पर साक्ष्य और प्रस्तुतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है जिनके बारे में मध्यस्थ असहमत थे-हालांकि, यदि कोई भी पक्ष नई सुनवाई के लिए आवेदन करता है, तो अंपायर इसे अनुमति देने के लिए बाध्य है, इस शर्त के अधीन कि आवेदन जल्द से जल्द किया जाता है और मामले को मोड़ने के लिए अंतिम शस्त्रागार के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है-इस आधार पर आपत्ति कि अंपायर ने साक्ष्य को फिर से नहीं सुना है, पक्षकारों के आचरण द्वारा माफ किया जा सकता है-तत्काल मामले में, अपीलकर्ता द्वारा दायर विलंबित आवेदन

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1062 ए.

1063

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड।

मध्यस्थता-'डी नोवो' सुनवाई-का अर्थ-चर्चा की गई।क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-कब दी जानी चाहिए-चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.1** मध्यस्थता कानून का सार यह है कि मामले को समयबद्ध तरीके से कुशलता से निपटाया जाए।इसलिए, जब अंपायर एक संदर्भ में प्रवेश करता है और मध्यस्थों की जगह लेता है, तो उसे केवल उन मामलों पर साक्ष्य और प्रस्तुतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है जिनके बारे में मध्यस्थ असहमत हैं, जब तक कि कोई भी पक्ष पक्षों या उनके गवाहों के साक्ष्य की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है।अंपायर निश्चित रूप से पिछले मध्यस्थों द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य को देख सकता है, लेकिन उस संबंध में उनके द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित हुए बिना और यहां तक कि पिछले मध्यस्थों द्वारा ली गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया जा सकता है यदि समझौते में विशेष प्रावधान मौजूद हैं जो उसे ऐसा करने की अनुमति देते हैं।हालांकि, यदि पक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए आवेदन करता है, तो अंपायर इसकी अनुमति देने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि आवेदन जल्द से जल्द किया जाए और आवेदक मामले को बदलने के लिए इसे अंतिम शस्त्रागार के रूप में उपयोग नहीं कर रहा हो।इस आधार पर आपत्ति कि अंपायर ने साक्ष्य को फिर से नहीं सुना है, पक्षों के आचरण द्वारा माफ किया जा सकता है; पिछले मध्यस्थ के समक्ष पहले से दर्ज साक्ष्य वैध रहेंगे और यह पक्षों के लिए बाद में नए सिरे से दर्ज करने के लिए खुला नहीं होगा।यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि जहां किसी पुरस्कार पर महाभियोग चलाने की मांग करने वाले पक्ष ने साक्ष्य की पुनः सुनवाई के लिए अंपायर को कोई आवेदन नहीं दिया है, तो यह आम तौर पर आचरण द्वारा छूट के रूप में काम करेगा।**[पैरा 13] [1070-**ए-डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2 डी नोवो हियरिंग शब्द को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे अभिलेख पर दलीलों, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की नई सुनवाई के रूप में समझा जाना चाहिए।यदि पक्ष किसी गवाह से फिर से पूछताछ करना चाहता है या स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर आपत्ति जताना चाहता है, तो अंपायर को पक्षों को सुनना होगा और न्याय के हित में आवेदन पर फैसला करना होगा।**[**पैरा **15] [1071-**सी**]**

जी.

1.3 आई**.** डी**. 1** दिनांकित पहला संचार, जिस पर अपीलार्थी**-**कंपनी ने भरोसा किया था, उक्त मामले में लंबित कार्यवाही के संबंध में अंपायर को लिखा गया एक पत्र था।

एच.

1064 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 3 एस. सी. आर.

ए.

उच्च न्यायालय के समक्ष मामला और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया आवेदन, जिसका उल्लेख अपीलार्थी**-**कंपनी उक्त पत्र में कर रही थी, अंपायर के शुल्क की मात्रा से संबंधित विवाद के लिए अधिनियम की धारा **5** के तहत दायर एक आवेदन था।यद्यपि अपीलार्थी**-**कंपनी ने उक्त पत्र में मामले की नई सुनवाई के संबंध में एक टिप्पणी की थी, लेकिन यह एक अतिरिक्त शस्त्रागार प्रतीत होता है जिसे अपीलार्थी अपनी पीठ पीछे रख रहा था क्योंकि उसने संचार में या उसके बाद कार्यवाही में उक्त मामले के नए सिरे से परीक्षण की मांग नहीं की थी।अपीलार्थी**-**कंपनी ने इसके बाद **12.01.2000** दिनांकित संचार का उल्लेख किया, लेकिन यह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में भी था।केवल आई**.** डी**. 1** पर ही अपीलार्थी**-**कंपनी ने मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था, यानी एक ऐसे स्तर पर जहां प्रतिवादी**-**कंपनी की ओर से अंतिम दलीलें समाप्त हो गई थीं और अपीलार्थी**-**कंपनी की ओर से अंतिम तर्क के लिए तारीख तय की गई थी।यदि अपीलार्थी**-**कंपनी अपने प्रयास में गंभीर थी कि उसे नए सिरे से साक्ष्य दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए, तो अंपायर के समक्ष कार्यवाही शुरू करने से पहले आसानी से एक आवेदन दायर किया जा सकता था।यह केवल तिरछे संदर्भों से था कि अपीलार्थी**-**कंपनी ने इस तरह के इरादे को प्राप्त करने की कोशिश की।यह पहलू स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती विचार था जो अंपायर के समक्ष कार्यवाही की परिणति के दौरान उत्पन्न हुआ।इसके अलावा, नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांकित अत्यधिक विलंबित

आवेदन का योग और सार भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह साक्ष्य की पुनः सुनवाई/पुनः रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वास्तव में दो मध्यस्थों के आदेश की समीक्षा के लिए अनुरोध कर रहा था।उपरोक्त से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता-कंपनी का आचरण छूट के बराबर है और **29.01.2000** पर दायर आवेदन मामले को बदलने के लिए अंतिम शस्त्रागार का प्रयास करने के अलावा और कुछ नहीं था।अंपायर ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था।**[**पैरा **17] [[1071-**एफ-एच**; 1072-**ए-डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.4 यह सवाल कि क्या दावे मान्य थे या नहीं, अनुबंध पर आधारित हैं और उनमें से किसे दिया जाना था, मध्यस्थों के अनन्य क्षेत्र के भीतर थे।इस मामले में, पुरस्कार ने परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया, और हर्जाने देने के लिए आगे बढ़ते समय संतुलन पर प्रासंगिक तथ्यों को तौला।पुरस्कार एक स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण का खुलासा नहीं करता है; ए

एच.

1065

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड।

न ही यह मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने और कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में चूक करता है।निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित दृष्टिकोण और निर्णयों में कोई दुर्बलता या त्रुटि नहीं है।**[**पैरा **20,21] [1073-**जी-एच**; 1074-**ए-बी**]**

रवींद्र कुमार गुप्ता एंड कंपनी बनाम भारत संघ

(2010) 1 एससीसी 409:[2009] 16 एस. सी. आर. 142; नगरपालिका

बी.

दिल्ली निगम बनाम जगन नाथ अशोक कुमार और

एक और (1987) 4 एससीसी 497:[1988] 1 एस. सी. आर. 180-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

सी.

[2009] 16 एस**.** सी**.** आर**. 142** पैरा **18 [1988] 1** एस**.** सी**.** आर**. 180** पर निर्भर था।

पैरा **19** पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील सं. 3776।

डी.

2007 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. 211 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, आयुष अग्रवाल, अनुज पी. अग्रवाल, प्रमोद बी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, भरत अरोड़ा, सुश्री अनुपमा, रोहित सिंह, सुश्री प्रेरणा मेहता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. के. अग्रवाल, जे. 1.अनुमति दी गई

2. वर्तमान अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2007 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) संख्या 211 में पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 2 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

एफ.

जी.

3. संक्षिप्त तथ्यः

(क) अपीलार्थी कंपनी-मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड और प्रत्यर्थी कंपनी-मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनियां हैं और वनस्पति तेल, साबुन, रसायन, पेट्रोकेमिकल, ऊनी और संबंधित उत्पादों के निर्माण और व्यापार का व्यवसाय कर रही हैं।

एच.

ए.

(ख) दोनों पक्षों ने आई. डी. 1 दिनांकित एक समझौता किया जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता कंपनी ने आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, आई. डी. 2 के अनुसार प्रत्यर्थी कंपनी को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया ताकि अपीलकर्ता कंपनी को आर. ई. पी. लाइसेंस के तहत सामग्री आयात करने के लिए सलाह, सहायता और मार्गदर्शन दिया जा सके। 1,85,95,100/- केवल सभी लागतों/व्यय के साथ आयातित माल के सी. आई. एफ. मूल्य के 5 प्रतिशत (प्रतिशत) की दर से पारिश्रमिक के साथ।

बी.

(ग) लाइसेंस के तहत आयात की जाने वाली सामग्री के कुल मूल्य में से, सामग्री का मूल्य रु। 1,16,00,800/- केवल आयात किया जा सकता था और सामग्री का CIF मूल्य रु। 69,94,300-उक्त मूल्य के आर. ई. पी. लाइसेंस के अभाव में प्रतिवादी-कंपनी द्वारा आयात नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध का उल्लंघन हुआ।

सी.

(घ) दोनों पक्षों ने कानूनी रास्ता अपनाया और उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 20 के तहत एक आवेदन पर विवाद को दो मध्यस्थों के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया।मध्यस्थों के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी होने के बाद, मध्यस्थ, 19.02.1999 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में निर्णय पर आम सहमति तक नहीं पहुंच सके और मामले को अंपायर को भेज दिया गया।

डी.

(ङ) अपीलार्थी-कंपनी ने नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए अंपायर के समक्ष दिनांक 29.01.2000 का आवेदन दायर किया।31.01.2000 पर, उक्त आवेदन को असमर्थनीय बताते हुए खारिज कर दिया गया था।लर्नड अंपायर ने प्रत्यर्थी के पक्ष में 21.02.2000 दिनांकित एक पुरस्कार पारित किया-कंपनी रु। 64,65,782-18 प्रतिशत (प्रतिशत) की दर से ब्याज के साथ, 01.11.1991 से वसूली की तारीख तक।

ई.

एफ.

(च) दिनांकित आई. डी. 1 से व्यथित होकर, अपीलार्थी कंपनी ने अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आपत्तियां दायर कीं, जो सी. एस. (ओ. एस.)

संख्या 795-ए/2000 में 2001 की आई. ए. संख्या 803 के रूप में पंजीकृत थी।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, पुरस्कार पर आपत्तियों को काफी हद तक खारिज कर दिया और मामूली संशोधनों के साथ न्यायालय का नियम बनाया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता-कंपनी इस बात को संतुष्ट करने में विफल रही कि अंपायर के समक्ष साक्ष्य को फिर से दर्ज करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किया गया था और आचरण द्वारा नए सिरे से मुकदमे के अधिकार को माफ कर दिया।

जी.

एच.

1067

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड. [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

ए.

(छ) उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित, अपीलार्थी-कंपनी ने उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष 2007 की एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) संख्या 211 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी।डिवीजन बेंच ने 22.10.2013 के फैसले और आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया।

(ज) दिनांकित 22.10.2013 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

4. अपीलार्थी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु एस. पाटिल और प्रतिवादी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता को सुना और अभिलेखों का अध्ययन किया।

सी.

विचार के लिए बिंदुः-

5. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या एक अंपायर को मामले की सुनवाई नए संदर्भ में करनी है या मध्यस्थों के बीच असहमति के स्तर से?

डी.

प्रतिद्वंद्वी विवादः-

6. अपीलार्थी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच ने अधिनियम के अनुच्छेद 4 से अनुसूची 1 के दायरे की व्याख्या करने में गलती की जिसका अर्थ है कि

अंपायर को संदर्भ को केवल उस स्तर से सुनना है जिस पर मध्यस्थ असहमत थे, न कि नए सिरे से।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम के अनुच्छेद 4 से अनुसूची I पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि जब मध्यस्थ असहमत होते हैं और विवाद का फैसला करने के लिए अंपायर की नियुक्ति की जाती है तो नई कार्यवाही आवश्यक होती है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब अंपायर "मध्यस्थों के बदले" संदर्भ में प्रवेश करता है तो वह मध्यस्थों के स्थान पर कदम रखता है और मध्यस्थों के समान कर्तव्य रखता है।तदनुसार, अंपायर इस आवश्यकता से अलग नहीं हो सकता है कि एक मध्यस्थ को व्यक्तिगत रूप से उस साक्ष्य को दर्ज करना चाहिए जिस पर उसे अपना निर्णय देने के उद्देश्य से भरोसा करना है।अंपायर गवाह को फिर से सुनने से इनकार नहीं कर सकता है और यदि इसके लिए किसी पक्ष के अनुरोध पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो पुरस्कार कदाचार के लिए बुरा होगा।

ई.

एफ.

जी.

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि खंड पीठ ने छूट के सवाल पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों की केवल पुष्टि की है, हर्जाने दिए जाने चाहिए, विशेष रूप से जब यह रिकॉर्ड पर दस्तावेजों से साबित किया गया था कि अपीलकर्ता-कंपनी ने कभी भी अपने निर्णय को माफ नहीं किया था।

एच.

नए सिरे से सुनवाई का अधिकार लेकिन अंपायर के सामने नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए जोर दे रहा था।इस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता-कंपनी ने अंपायर को संबोधित 24.05.1999 और 12.01.2000 दिनांकित संचार और मामले की नई सुनवाई के लिए दायर 29.01.2000 दिनांकित आवेदन पर भरोसा रखा।

8. प्रतिवादी-कंपनी को दिए गए नुकसान के संबंध में अगला तर्क देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पहले समझौते के तहत, वस्तुओं का आयात किया जाना था और 5 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाना था।इसलिए, जिन वस्तुओं को संसाधित नहीं किया गया है और वितरित नहीं किया गया है, क्योंकि वे पहले समझौते के तहत आयात नहीं किए गए थे, उनके लिए हर्जाना देना असमर्थनीय है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया

कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने कानून में गलती की है और इस मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई है।

बी.

सी.

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा दायर आवेदन गलत है, बनाए रखने योग्य नहीं है और मांगी गई राहत अस्पष्ट है।आवेदन तब दायर किया गया जब अंपायर के समक्ष सुनवाई शुरू हो चुकी थी और दावेदार ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।इसके लिए पहला आवेदन इस तथ्य के बावजूद 29.01.2000 पर दायर किया गया था कि अंपायर के समक्ष पहली सुनवाई 24.04.1999 पर हुई थी, जिसे एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अंपायर मध्यस्थों के आदेश पर नहीं बैठ सकता है या समीक्षा नहीं कर सकता है जो सर्वसम्मत था और आवेदन दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ एक विलंबित आवेदन था।

डी.

ई.

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अनुच्छेद 4 की समझ और व्याख्या तर्क और तर्क के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिस स्तर पर मध्यस्थ असहमत होते हैं, वह वह चरण होगा जिस पर अंपायर शुरू होता है और संदर्भ के साथ आगे बढ़ता है।इसलिए, अंपायर का कर्तव्य नहीं है कि वह एक ही साक्ष्य को फिर से दर्ज करे, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अंपायर ने दिनांक 21.02.2000 के पुरस्कार के माध्यम से स्पष्ट रूप से नोट किया है कि अपीलकर्ता-कंपनी ने कार्यवाही में अनुचित रूप से देरी की है और विशेष रूप से उन तारीखों का उल्लेख किया है जिनमें दूसरे पक्ष द्वारा कोई उपस्थिति नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप आचरण द्वारा छूट दी गई थी।इसलिए, नई कार्यवाही की याचिका गलत है और कानून के तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के खिलाफ है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि ए द्वारा पारित तर्कपूर्ण आदेशों में कोई अनियमितता नहीं थी

एफ.

जी.

एच.

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड. [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा और इस न्यायालय द्वारा मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा जाता है।

चर्चाः-

11. विचार के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां मध्यस्थों के बीच असहमति के कारण मामला अंपायर को भेजा गया है, अंपायर को केवल उन मुद्दों को सुनने के लिए खुद को सीमित करना होगा जिन पर मध्यस्थ असहमत थे या उन्हें मामले को नए सिरे से सुनना होगा।इसके अलावा, डी नोवो हियरिंग शब्द का क्या अर्थ है? अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, पहली अनुसूची के प्रावधानों को मध्यस्थता समझौते में शामिल माना जाता है।मामले के इस दृष्टिकोण में, अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 4 की जांच करना आवश्यक है क्योंकि यह विवादग्रस्त मामले से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः-

बी.

सी.

“4. यदि मध्यस्थों ने निर्णय दिए बिना अपना समय समाप्त करने की अनुमति दी है या मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष को या अंपायर को लिखित रूप में एक नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि वे सहमत नहीं हो सकते हैं, तो अंपायर तुरंत मध्यस्थों के बदले संदर्भ दर्ज करेगा।”

डी.

12. उपरोक्त के केवल अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि एक अंपायर "मध्यस्थों के बदले" एक संदर्भ में प्रवेश करता है और अधिनियम मध्यस्थों या अंपायर द्वारा कार्यवाही के संचालन के संबंध में किसी भी भेदभाव पर विचार नहीं करता है।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मामले को अंपायर के हवाले करने पर, मध्यस्थ आधिकारिक हो जाते हैं।अंपायर विवादों को निर्धारित करने का अनन्य अधिकार अपने ऊपर लेता है।वह मध्यस्थों का स्थान लेता है, जैसा कि "मध्यस्थों के बदले में" अभिव्यक्ति व्यक्त करती है।जब तक अंपायर की शक्तियों को परिभाषित या सीमांकित करने के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तब तक उससे सभी परिचर शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ मध्यस्थों के समान कार्यों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है।

ई.

एफ.

13. या तो अंपायर को सौंपे गए कार्यों की प्रकृति या पहली अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि न्यायसंगत और निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और तौर-तरीकों के संबंध में मध्यस्थों और अंपायर के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है।यह कहना तुच्छ है कि एक मध्यस्थ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने के लिए बाध्य है।यह उसका कर्तव्य है कि वह संबंधित पक्षों को उचित अवसर प्रदान करे।हालांकि, यह तर्क देना भी अतार्किक होगा

जी.

एच.

कि अंपायर को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी।मध्यस्थता कानून का सार यह है कि मामले को समयबद्ध तरीके से कुशलता से निपटाया जाए।इसलिए, जब अंपायर एक संदर्भ में प्रवेश करता है और मध्यस्थों की जगह लेता है, तो उसे केवल उन मामलों पर साक्ष्य और प्रस्तुतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है जिनके बारे में मध्यस्थ असहमत हैं, जब तक कि कोई भी पक्ष पक्षों या उनके गवाहों के साक्ष्य की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है। अंपायर निश्चित रूप से पिछले मध्यस्थों द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य को देख सकता है, लेकिन उस संबंध में उनके द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित हुए बिना और यहां तक कि पिछले मध्यस्थों द्वारा ली गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया जा सकता है यदि समझौते में विशेष प्रावधान मौजूद हैं जो उसे ऐसा करने की अनुमति देते हैं।हालांकि, यदि पक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए आवेदन करता है, तो अंपायर इसकी अनुमति देने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि आवेदन जल्द से जल्द किया जाए और आवेदक मामले को बदलने के लिए इसे अंतिम शस्त्रागार के रूप में उपयोग नहीं कर रहा हो।इस आधार पर आपत्ति कि अंपायर ने साक्ष्य को फिर से नहीं सुना है, पक्षों के आचरण द्वारा माफ किया जा सकता है; पिछले मध्यस्थ के समक्ष पहले से दर्ज साक्ष्य वैध रहेंगे और यह पक्षों के लिए बाद में नए सिरे से दर्ज करने के लिए खुला नहीं होगा।यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि जहां किसी पुरस्कार पर महाभियोग चलाने की मांग करने वाले पक्ष ने साक्ष्य की पुनः सुनवाई के लिए अंपायर को कोई आवेदन नहीं दिया है, तो यह आम तौर पर आचरण द्वारा छूट के रूप में काम करेगा।

बी.

सी.

डी.

14. यह कहने के बाद कि अंपायर पक्षकारों द्वारा दायर आवेदन पर मामले को नए सिरे से सुनने के लिए बाध्य है, मध्यस्थता के कानून के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तों की संतुष्टि के अधीन है और यह जांचने से पहले कि क्या अपीलकर्ता-कंपनी का आचरण छूट के बराबर है या नहीं, अंपायर के समक्ष नए सिरे से सुनवाई शब्द के अर्थ की जांच करना आवश्यक है, जिसे मध्यस्थों के बीच असहमति के मामले में मामला भेजा जाता है।अपीलार्थी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि किसी मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का मतलब है कि मामले को नए सिरे से शुरू किया जाना है, यानी उसी बिंदु से जहां से मध्यस्थों ने शुरुआत की थी।दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि मामला रिकॉर्ड पर लाया गया हैःअभिवचन, साक्ष्य; पहली बार में मध्यस्थों के समक्ष अमान्य हो जाएगा, यानी दावे के बयान, दावों और जवाबी दावों का जवाब, बयान और मध्यस्थों के समक्ष गवाहों की प्रतिपरीक्षा सहित कार्यवाहियों का कोई महत्व नहीं है।विवाद में निश्चित बिंदु और पक्षों की सर्वविदित स्थिति व्यर्थ हो जाएगी और अंपायर को उसी प्रक्रिया के साथ फिर से शुरुआत करनी चाहिए।इसका एक अपरिहार्य परिणाम यह है कि एक पक्ष को ए को पार करने की अनुमति दी जाती है

ई.

एफ.

जी.

एच.

1071

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड. [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

पिछले मध्यस्थों के समक्ष पहले से दर्ज साक्ष्य में कमी।इसके अलावा, यह बेईमान वादी को पहले से दर्ज साक्ष्य को मिटाने का एक अनावश्यक विकल्प देगा जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।इसके अलावा, गवाहों से नए सिरे से पूछताछ की जानी एक स्पष्ट विसंगति है जो यह दर्शाती है कि गवाह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं या एक पूरी तरह से अलग संस्करण या उनके पिछले संस्करण के साथ असंगत संस्करण दे सकते हैं, जो कि फीकी यादों के तथ्य के कारण है।डी नोवो ट्रायल शब्द की इस तरह की व्याख्या के परिणामस्वरूप पक्षों को अनुचित कठिनाई होगी और यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा और मध्यस्थता को अप्रभावी बना देगा।

बी.

15. इसलिए, सबसे पहले, डी नोवो हियरिंग शब्द को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे अभिलेख पर दलीलों, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की नई सुनवाई के रूप में समझा जाना चाहिए।यदि पक्ष किसी गवाह से फिर से पूछताछ करना चाहता है या स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर आपत्ति जताना चाहता है, तो अंपायर को पक्षों को सुनना है और न्याय के हित में आवेदन पर फैसला करना है।

सी.

डी.

16. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि एक पक्ष को आचरण द्वारा छूट के अधीन नए सिरे से सुनवाई का आह्वान करने का अधिकार है, अब यह सवाल आता है कि क्या वास्तव में और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में अपीलकर्ता-कंपनी का आचरण छूट के बराबर है या नहीं। यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता-कंपनी ने अंपायर के समक्ष सुनवाई की शुरुआत से ही मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग की थी और इसके समर्थन में उसने अंपायर को संबोधित 24.05.1999,12.01.2000 दिनांकित संचार और मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए दायर 29.01.2000 आवेदन पर भरोसा किया था।

ई.

17. हालाँकि, अभिलेखों को देखने के बाद, यह पाया गया कि दिनांक 1 का पहला संचार, जिस पर अपीलकर्ता-कंपनी ने भरोसा किया है, उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में लंबित कार्यवाही के संबंध में अंपायर को लिखा गया एक पत्र है और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया आवेदन, जिसका उल्लेख अपीलकर्ता-कंपनी उक्त पत्र में कर रहा था, अंपायर के शुल्क की मात्रा से संबंधित विवाद के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर एक आवेदन था।यद्यपि उक्त पत्र में अपीलार्थी-कंपनी ने मामले की नई सुनवाई के संबंध में एक टिप्पणी की है, लेकिन यह एक अतिरिक्त शस्त्रागार प्रतीत होता है जिसे अपीलार्थी अपनी पीठ पीछे रख रहा है क्योंकि उसने उक्त मामले के नए सिरे से परीक्षण की मांग नहीं की है, न तो संचार में और न ही उसके बाद कार्यवाही में।अपीलार्थी-कंपनी ने इसके बाद 12.01.2000 दिनांकित संचार का उल्लेख किया लेकिन वही

एफ.

जी.

एच.

यह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में भी है।यह केवल 29.01.2000 पर है कि अपीलकर्ता-कंपनी ने मामले की नई सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया है, यानी एक ऐसे स्तर पर जहां प्रतिवादी-कंपनी की ओर से अंतिम तर्क समाप्त हो गए हैं और अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से अंतिम तर्क के लिए तारीख तय की गई थी।यदि अपीलार्थी-कंपनी अपने प्रयास में गंभीर थी कि उसे नए सिरे से साक्ष्य दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए, तो अंपायर के समक्ष कार्यवाही शुरू करने से पहले आसानी से एक आवेदन दायर किया जा सकता था।यह केवल तिरछे संदर्भों से है कि अपीलार्थी-कंपनी इस तरह के इरादे को प्राप्त करना चाहती है।यह पहलू स्पष्ट रूप से एक पश्चातवर्ती विचार है जो अंपायर के समक्ष कार्यवाही की परिणति के दौरान उत्पन्न हुआ था।इसके अलावा, नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांकित अत्यधिक विलंबित आवेदन का योग और सार भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह साक्ष्य की पुनः सुनवाई/पुनः रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वास्तव में दो मध्यस्थों के आदेश की समीक्षा के लिए अनुरोध कर रहा था, विशेष रूप से श्री के. एल. जैन की पुनः जांच के लिए।यह अपीलार्थी-कंपनी का मामला है कि मध्यस्थों ने श्री के. एल. जैन के बजाय श्री विजय गुप्ता नाम के किसी अन्य गवाह को पेश करने की अनुमति देने में गलती की थी।उपरोक्त से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता-कंपनी का आचरण छूट के बराबर है और 29.01.2000 पर दायर आवेदन मामले को बदलने के लिए अंतिम शस्त्रागार का प्रयास करने के अलावा और कुछ नहीं है।अंपायर ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

18. अपीलार्थी-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले के गुण-दोष पर तर्क दिया, हालांकि, कानून एक मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे के संबंध में अच्छी तरह से तय किया गया है जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह में तय किया गया है और रवींद्र कुमार गुप्ता और कंपनी बनाम भारत संघ (2010) 1 एस. सी. सी. 409 को उद्धृत करने के लिए पर्याप्त होगा जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः-

एफ.

“9. मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के दायरे और दायरे के संबंध में कानून का निपटारा इस न्यायालय के कई निर्णयों में किया गया है।हम यहाँ

केवल कुछ निर्णयों का संदर्भ दे सकते हैं।राजस्थान राज्य बनाम पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

जी.

“26. पक्षकारों के बीच विवाद के लिए मध्यस्थ अंतिम मध्यस्थ होता है और यह इस आधार पर निर्णय को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि मध्यस्थ ने अपना निष्कर्ष निकाला है या तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम#36#

एच.

1073

मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड v.मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड. [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

ए.

केरल के इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ की अधिकारिता के बारे में विवादों और विवादों के बीच अंतर है कि उस अधिकारिता का प्रयोग किस तरह किया जाना चाहिए।एक विशेष उपाय देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति के बारे में एक संघर्ष हो सकता है।अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि और अधिकार क्षेत्र से अधिक त्रुटि के बीच अंतर निर्धारित करना होता है।न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कानून या तथ्य के निष्कर्ष के अपने स्वयं के मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है कि मध्यस्थ ने पक्षों के बीच सौदे के विपरीत काम किया था।(मूल में जोर) क्या कोई विशेष राशि भुगतान के लिए उत्तरदायी थी, यह मध्यस्थ की क्षमता के भीतर एक निर्णय है।अनुबंध का अर्थ लगाने के लिए न्यायालय यह कहने का भार अपने ऊपर नहीं ले सकता है कि यह अनुबंध के विपरीत था और इस तरह अधिकार क्षेत्र से बाहर था।यदि किसी अनुबंध के दृष्टिकोण से, दिए गए कुछ राशियों पर मध्यस्थ का निर्णय एक संभावित दृष्टिकोण है, हालांकि शायद एकमात्र सही दृष्टिकोण नहीं है, तो पुरस्कार की अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।जहां मध्यस्थ द्वारा निर्णय देने में कारण दिए गए हैं, वहां न्यायालय कारणों की तर्कसंगतता की जांच नहीं कर सकता है।यदि पक्षों ने अपना स्वयं का मंच चुना है, तो निर्णायक मंच को साक्ष्य के मूल्यांकन की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए।मध्यस्थ गुणवत्ता के साथ-साथ साक्ष्य की मात्रा का एकमात्र न्यायाधीश होता है और यह न्यायालय के लिए नहीं होगा कि वह मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य पर न्यायाधीश होने का कार्य अपने ऊपर ले।”

बी.

सी.

डी.

ई.

19. दिल्ली नगर निगम बनाम जगन नाथ अशोक

कुमार और अन्य (1987) 4 एस. सी. सी. 497, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थ द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन आमतौर पर कभी भी ऐसा मामला नहीं होता है जिस पर अदालत सवाल उठाती है और विचार करती है।यह संभव हो सकता है कि एक ही साक्ष्य पर, न्यायालय मध्यस्थ द्वारा किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, लेकिन यह अपने आप में निर्णय को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

एफ.

20. उपरोक्त निर्णयों के बाद, हमारी राय है कि यह सवाल कि क्या दावे मान्य थे या नहीं, अनुबंध पर आधारित हैं और उनमें से किसे दिया जाना था, मध्यस्थों के अनन्य क्षेत्र के भीतर थे।इस मामले में, पुरस्कार ने परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया, और हर्जाने देने के लिए आगे बढ़ते समय संतुलन पर प्रासंगिक तथ्यों को तौला।पुरस्कार स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है

जी.

एच.

त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण; न ही यह मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने और कानूनी सिद्धांतों को लागू करने से बचाता है।

21. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित दृष्टिकोण और निर्णयों में कोई कमजोरी या त्रुटि नहीं पाते हैं।इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसलिए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.